कार्यालय वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल केशकाल
जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़

Telephone & Fax - 07848-259337 E-mail- dfokeshkal@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 4349 केशकाल, दिनांक. 26/06/2018

प्रति,

महाप्रबंधक
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
चौथी मंजिल 401—405
अंबुजा मॉल ,विधानसभा रोड
कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड नंबर 26
मोवा,रायपुर छ.ग. 492007

विषय :— आवेदनकर्ता ,महाप्रबंधक रिलायंस जियो ईन्फोकाम लिमिटेड रायपुर का कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.674 हे.वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव

संदर्भः— 1—छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन, रायपुर का पत्र कमांक एफ—7—3/2018/10—2,रायपुर ,दिनांक 26.05.2018

2—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू—प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. का पत्र कमांक/भू—प्रबंध/विविध/115—647/1853,दिनांक 18.06.2018

—☼—

विषयांतर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र कमांक एफ—7—3/2018/10—2,रायपुर दिनांक 26.05.2018 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोंपरांत एतद् द्वारा कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमण्डल अंतर्गत 0.674 हे. वनभूमि में ग्राम जैतपुरी से पाटला तक भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु महाप्रबंधक रिलायंस जियो ईन्फोकाम लिमिटेड रायपुर को वनभूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नालिखित शर्तो के अधीन सैद्वांतिक स्वीकृति दी जाती है :—

6—(i) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र कमांक एफ—7—3/2018/10—2,दिनांक 26.05.2018 में दिये गये निर्देशो के अतंर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण की सीमा के बाहर मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में निर्धारित साईज (2 मीटर गहराइ एवं 1 मीटर चौड़ाई) खंती हेतु अनुमति दी गई है।

(ii) वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाती है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे —किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।

(iii) वनभूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।

(iv) वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

(v) वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा।

(vi) कार्य उपरांत रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खंती की खुदाई के उपरांत समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।

(vii) समतलीकरण का कार्य आवेदक/ आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।

(viii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नही किया जाएगा।

(ix) खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जाएगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नही काटा जाएगा।

(x) यदि आवेदक /आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है,तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

(xi) आवेदक /आवेदक संस्थान से लिखित में वचन–पत्र देगे कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य, सरकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें उन्हें मान्य होगी।

(xii) प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जावेगा।

(xiii) स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी कोपूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सकें।

(xiv) आवेदक संस्थान वनमण्डलाधिकारी केशकाल के पूर्वानुमति के बिना रखरखाव का कार्य नही करेगा।

(xv) वनभूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों विनियमों एंव दिशानिर्देशों के शर्तो का पालन किया जाएगा।

(xvi) बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी,भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को आवेदक संस्था निवेदन करेंगें।

(xvii) क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा।

वनमण्डल कार्यालय मे उपर्युक्त शर्तो की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही प्रकरण पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जावेगा। जब तक यह वनमण्डल द्वारा औपचारिक अनुमोदन जारी नहीं किया जावेगा तब तक वनभूमि पर कोई कार्य करने की अनुमति नहीं हैं ।

प्रभारी वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागांव

पृ.क्र./मा.चि./ 4350 — केशकाल,दिनांक.. 26/06/18

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ,ग्राउण्ड फ्लोर (ईस्टर्न बिंग) न्यू सेकेटेरियट विल्डिंग व्ही.सी. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन नागपुर(महाराष्ट्रा) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन ,सेक्टर –19,नार्थ ब्लॉक ,केपिटल काम्पलेक्स ,नया रायपुर 492002 ई–मेल apccf-lm.cg@gov.inकी ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जिलाध्यक्ष जिला कोण्डागावं की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. उप वनमण्डलाधिकारी फरसगांव एवं परिक्षेत्र अधिकारी फरसगांव सामान्य एवं बड़ेडोंगर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रभारी वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागांव